

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चुरू
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प लाखाक



—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लाखाक व भूअनि स.स.ला. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चुरू / नायब तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करणपुरा तहसील चुरू व जिला चुरू की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 में खाता संख्या 129 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	करणपुरा	129	जगदसी पुत्री रामेन्द्रवरपाल हिस्सा 1/24 लाली मैचवाल निवासी करणपुरा खातेदार	जायत्री देवी पुत्री रामेन्द्रवरपाल हिस्सा 1/24 लाली मैचवाल निवासी करणपुरा खातेदार

(12/10/21)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर, चुरू

दिनांक :- 12-10-2021

क्रमांक :- 107/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चुरू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री जायत्री देवी पुत्री रामेन्द्रवरपाल निवासी करणपुरा की सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

150/10 745
(12.10.2021)

(12/10/21)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर,

चुरू